प्रेषक,

आनन्द भूषण गौड़,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, उ0प्र0,
तृतीय तल, विकास दीप,
हुसैनगंज, लखनऊ।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 5 अप्रैल, 2012

विषयः– वित्तीय वर्ष 2012–2013 के प्रथम 04 माहों (अप्रैल, 2012 से जुलाई, 2012 तक) के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–2013 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–65 के लेखाशीर्षक–"3475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें–आयोजनेत्तर–200–अन्य कारोबार उपक्रमों का विनियमन–03–भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ0प्र0 चिट फण्ड्स अधिनियम का कार्यान्वयन" के अन्तर्गत अधिष्ठान व्यय को वहन किये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1861, दिनांक 21–10–2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–2013 के प्रथम चार माह के लिये स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष उक्त अवधि के दौरान होने वाले खर्चो को वहन करने के लिए रू0 2,49,39,000.00 (रूपये दो करोड़ उनचास लाख उनतालिस हजार मात्र) जिसका विवरण निम्नवत् है, की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– अनुदान संख्या–65
लेखाशीर्षक–"3475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें–आयोजनेत्तर–
200–अन्य कारोबार उपक्रमों का विनियमन–
03–भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ0प्र0 चिट फण्ड्स अधिनियम का कार्यान्वयन"

(आयोजनेत्तर)

मानक मदों का विवरण	धनराशि हजार रूपये में
01–वेतन	12333
03–मंहगाई भत्ता	8510
04–यात्रा व्यय	166
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	66
06–अन्य भत्ते	1433
07–मानदेय	16
08–कार्यालय व्यय	233
09–विद्युत देय	200
10–जलकर/जल प्रभार	17
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	200
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	133
13–टेलीफोन पर व्यय	66
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद	66
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	58

.....2...

17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	333
19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	33
29–अनुरक्षण	422
42–अन्य व्यय	100
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	33
45–अवकाश यात्रा व्यय	33
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	66
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	83
49–चिकित्सा व्यय	333
51–वर्दी व्यय	6
योग–	24939

(रूपये दो करोड़ उनचास लाख उनतालिस हजार मात्र)

2– उपरोक्त वित्तीय स्वीकृतियां वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–3520/दस–2011–231/2012, दिनांक 16–12–2011 में लगाई गई शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन होगी। उपरोक्त स्वीकृत धनराशि किसी अन्य मद/सेवा पर व्यय नहीं की जायेगी। उक्त राशि संगत नियमों तथा आदेशों की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद ही व्यय किया जाय और यदि नियमों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो तो धनराशि व्यय करने से पूर्व अपेक्षित स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर ही रखा जाय तथा मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। कम्प्यूटर एवं उसके सहवर्ती उपकरणों का क्रय आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देशानुरूप/आदेशानुरूप ही किया जायगा।

3– उपरोक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–2013 के अनुदान संख्या–65 के लेखाशीर्षक–"3475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें–आयोजनेत्तर–200–अन्य कारोबार उपक्रमों का विनियमन–03–भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ0प्र0 चिट फण्ड्स अधिनियम का कार्यान्वयन" की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(आनन्द भूषण गौड)
अनु सचिव।

संख्या–आडिट–671(2)/दस–2012–606(2)/11, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– निदेशक वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4– एन0आई0सी0, लखनऊ।
5– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द भूषण गौड़)
अनु सचिव।